



2026:AHC-LKO:20707

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ

**धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1143 सन्
2026**

मेसर्स अनिल कुमार बाजपेई, द्वारा स्वामी अनिल कुमार बाजपेईआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ से एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : वैभव शर्मा, आकाश राय, आनंद कुमार शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राव नरेंद्र सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-I तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह जिन्होंने आज अपना वकालतनामा विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की ओर से प्रस्तुत किया को सुना गया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2. प्रस्तुत आवेदन निम्नलिखित मुख्य राहत के साथ दाखिल किया गया है :

“.....अतएव विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 27.06.2025 के आक्षेपित समन आदेश तथा परिवाद संख्या 8041 सन् 2025, शीर्षक मेसर्स हिमालयन एंटरप्राइजेज बनाम मेसर्स अनिल कुमार बाजपेई एंड संस एवं अन्य, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, थाना- गाजीपुर, जनपद- लखनऊ, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि विद्वान अपर न्यायालय संख्या 05, लखनऊ में लंबित है, की समस्त कार्यवाही को निरस्त करने के साथ-साथ दिनांक 10.03.2026 को विद्वान विशेष न्यायाधीश (आयुर्वेद घोटाला प्रकरण)/सी.बी.आई., लखनऊ द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय, जो कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 469 सन् 2025, शीर्षक मेसर्स अनिल कुमार बाजपेई एंड संस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित हुआ है, को न्याय, समता एवं सद्विवेक के हित में निरस्त करने की कृपा करें।”

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा दिनांक 16.01.2025 को आवेदकों के विरुद्ध परिवाद वाद संख्या 8041 सन् 2025 (मेसर्स हिमालयन एंटरप्राइजेज बनाम मेसर्स अनिल कुमार बाजपेई एंड संस एवं अन्य) धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत, थाना- गाजीपुर, जनपद- लखनऊ में इस आधार पर दाखिल किया गया कि मेसर्स अनिल कुमार बाजपेई एंड संस के स्वामी अर्थात् आवेदक विपक्षी संख्या 3 से उसके कार्यालय में मिलने आए तथा स्वयं को संतरा एवं किन्नू के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात आवेदक एवं विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के मध्य व्यापार प्रारंभ हुआ। उक्त परिवाद में यह भी कथित किया गया कि विपक्षी संख्या 2 एवं आवेदकों के मध्य यह सहमति हुई कि धनराशि का प्रबंधन विपक्षी संख्या 3 द्वारा किया जाएगा, जबकि उक्त व्यवसाय में क्रय-विक्रय का कार्य आवेदक द्वारा किया जाएगा। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि विपक्षी संख्या 3 को शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि आवेदक नकद बिक्री कम तथा उधार बिक्री अधिक दर्शा रहा है तथा फर्जी उधार बिक्री दिखा रहा है। उक्त परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया कि आवेदक पर रुपये 6,50,710/- देय हैं, जिसकी मांग विपक्षी संख्या 3 द्वारा की जा रही थी। आवेदक ने अपनी देयता के निर्वहन हेतु कथित चेक संख्या 000012 दिनांक 07.09.2024 राशि रुपये 6,50,710/- कोटक महिंद्रा बैंक, मुक्तिपुर शाखा, लखनऊ का, विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निर्गत किया तथा आश्वासन दिया कि वह उक्त राशि दिनांक 30.09.2024 तक अदा कर देगा, अन्यथा उक्त चेक के माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकती है। आगे आरोप है



कि जब आवेदक ने दिनांक 30.09.2024 तक उक्त राशि का भुगतान नहीं किया, तब विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से दिनांक 16.11.2024 को उक्त चेक संख्या 000012 दिनांक 07.09.2024, राशि रुपये 6,50,710/- कोटक महिंद्रा बैंक, मुक्तिपुर शाखा, लखनऊ को अपने खाते में, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा-11, रेज्ड फ्लोर, इंदिरा नगर, लेखराज खजाना, फैजाबाद रोड, थाना गाजीपुर, लखनऊ में प्रस्तुत किया, जो दिनांक 19.11.2024 को “आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया” टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया, जिसकी सूचना विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 21.11.2024 को कूरियर द्वारा बैंक जापन प्राप्त होने पर हुई।

4. धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नोटिस तामील होने के पश्चात, आवेदक द्वारा दिनांक 18.04.2025 को उक्त नोटिस के विरुद्ध अपना लिखित प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा उसके विरुद्ध परिवाद दायर किया गया। विपक्षी संख्या 2 एक पंजीकृत एवं प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं तथा विपक्षी संख्या 2 के सक्रिय साझेदार के रूप में व्यवसाय में भी संलग्न हैं, अतः उक्त लेन-देन विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमावली के नियम 47 तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा वर्जित है। दिनांक 27.06.2025 के समन आदेश से आहत होकर आवेदक ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 469 सन् 2025 दाखिल किया। विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा उक्त पुनरीक्षण के विरुद्ध दिनांक 12.11.2025 को लिखित आपत्तियां प्रस्तुत की गईं।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि उक्त परिवाद दायर करते समय विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 141 का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः संपूर्ण परिवाद निरस्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय **नत्थू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2019(11) ILR इलाहाबाद 108** पर निर्भरता व्यक्त की तथा यह निवेदन किया कि यह स्वीकार करना कठिन है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार के प्रति उस धनराशि के संबंध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में देयता रखता है, जो लाभांश के रूप में दावा की जा रही है, क्योंकि लाभ फर्म द्वारा अर्जित होता है और सभी साझेदार समान स्थिति रखते हैं, जिसे उनकी सहमति से वितरित किया जा सकता है या सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार लिया जा सकता है, किन्तु धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम लागू नहीं होगी।

6. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि मेसर्स हिमालयन एंटरप्राइजेज एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है तथा पक्षकारों के मध्य यह समझौता हुआ था कि वादी एवं अभियुक्त क्रय-विक्रय के लाभ को साझा करेंगे तथा अधिकतम बिक्री नकद में होगी और सभी व्यय घटाने के पश्चात लाभ का समान रूप से विभाजन किया जाएगा। उपर्युक्त शर्त के पश्चात अनिल कुमार बाजपेई ने आवेदक को थोक आपूर्तिकर्ताओं, अर्थात् मोहन एवं दीपक सरोज से परिचित कराया, यह कहते हुए कि संतरा/किन्नू उन्हीं से आएगा। अभियुक्त ने अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म अनिल कुमार बाजपेई एंड संस के खाते से रुपये 6,50,710/- की शेष राशि का चेक संख्या 000012, कोटक महिंद्रा बैंक, शाखा- मुक्तिपुर, लखनऊ, खाता संख्या 5448136861, दिनांक 07.09.2024, मेसर्स हिमालयन एंटरप्राइजेज के नाम पर दिया तथा कहा कि वह दिनांक 30.09.2024 तक संपूर्ण राशि का भुगतान कर देगा और यदि भुगतान न हो तो उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत कर धनराशि प्राप्त कर ली जाए। दिनांक 30.09.2024 तक भुगतान न होने पर वादी ने उक्त चेक को दिनांक 16.11.2024 को अपनी फर्म के बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा-11, रेज्ड फ्लोर, इंदिरा नगर, लेखराज खजाना, फैजाबाद रोड, थाना गाजीपुर, लखनऊ-226016, खाता संख्या 50200047665129 में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया। उक्त चेक दिनांक 19.11.2024 को “आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया” टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया। उक्त बैंक मेमो वादी को दिनांक 21.11.2024 को ब्लू डार्ट/कूरियर संख्या 16662423923 के माध्यम से प्राप्त हुआ। मांग नोटिस दिनांक 02.12.2024 को वादी के मोबाइल संख्या 9455550000 से अभियुक्त के मोबाइल संख्या 9936092253 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया तथा उसी दिन प्राप्त हुआ।



इसी प्रकार वादी के अधिवक्ता के मोबाइल संख्या 8960130456 से भी दिनांक 02.12.2024 को व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया, जो उसी दिन प्राप्त हुआ। वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.11.2024 का विधिक नोटिस दिनांक 03.12.2024 को अभियुक्त के आवासीय एवं कार्यालय पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया, जिसमें 15 दिवस के भीतर रुपये 6,50,710/- के भुगतान की मांग की गई। उक्त नोटिस को अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.12.2024 को ग्रहण करने से इंकार कर दिया गया। वैधानिक नोटिस की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अभियुक्त द्वारा भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा चेक निर्गत करना तथा बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश देना (बैंक मेमो में “आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया”) एक सुनियोजित, कुटिल एवं दुर्भावनापूर्ण कृत्य है, जिसका उद्देश्य वादी को धोखा देना है। अभियुक्त को भलीभांति ज्ञात था कि चेक प्रस्तुत किया जाएगा, अतः उसने जानबूझकर भुगतान रोकने के निर्देश दिए।

7. विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि परिवाद समयावधि के भीतर दायर किया गया है तथा चेक आवेदकों द्वारा निर्गत किया गया और अनादृत हुआ है। उन्होंने यह निवेदन किया कि यह सभी तथ्य विवादित हैं, जिनका निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह न्यायालय साक्ष्यों का मूल्यांकन या लघु परीक्षण नहीं कर सकता तथा आवेदक पर देयता है या नहीं, यह विचारण के उपरांत ही निर्धारित किया जा सकता है।

8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **दाना सिंह प्रभु बनाम चंद्रशेखर, 2025 SCCOnline SC 1419** तथा इस न्यायालय के निर्णय **राजीव गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026:AHC-LKO:17690 (आवेदन अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 4766 सन् 2012)** पर निर्भरता व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता तथा धारा 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम साझेदारी फर्म पर इस प्रकार लागू नहीं होती।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने **दाना सिंह प्रभु** (उपर्युक्त) वाद में पैरा 63 से 67 में साझेदारी फर्म एवं कंपनी अधिनियम के पहलुओं पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि कंपनी के संदर्भ में निदेशक एक पृथक विधिक व्यक्तित्व होता है, जबकि साझेदारी फर्म में साझेदार पृथक विधिक व्यक्तित्व नहीं होता। साझेदारी फर्म कंपनी की भांति अपने निदेशकों से पृथक विधिक इकाई नहीं होती, अपितु केवल अपने साझेदारों के साथ मिलकर ही उसका विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। अतः साझेदारी फर्म का अपने साझेदारों से पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए जहाँ कंपनी के निदेशक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, वहीं साझेदारी फर्म के मामले में अपराध वस्तुतः साझेदारों द्वारा किया गया माना जाता है। अतः चेक के अनादरण के लिए साझेदार उत्तरदायी होते हैं। **दाना सिंह प्रभु** (उपर्युक्त) के मुकदमें के पैरा 63 से 67 निम्नानुसार हैं :

“63. धारा 141 के विभिन्न उपबंधों के सम्यक् पठन से यह स्पष्ट होता है कि ‘कंपनी’ शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें केवल कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी ही नहीं, बल्कि कोई भी निकाय कॉर्पोरेट जैसे वैधानिक कंपनी तथा अन्य कृत्रिम विधिक इकाइयाँ जैसे साझेदारी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ भी सम्मिलित हैं। अतः धारा 141 की उपधारा (2) में प्रयुक्त ‘निदेशक’ शब्द केवल निगमित कंपनी या वैधानिक निकाय के निदेशक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फर्म का साझेदार भी सम्मिलित है। धारा 141 की उपधारा (2) में ‘निदेशक’ शब्द का फर्म के संदर्भ में अर्थ ‘साझेदार’ है, जो कि संसद द्वारा अपनाया गया एक विधायी उपाय है, यह जानते हुए कि विधिशास्त्रीय दृष्टि से साझेदारी फर्म किसी कॉर्पोरेट निकाय के निदेशक के समान नहीं होती। चूँकि संसद ने ‘कंपनी’ शब्द का प्रयोग सभी प्रकार की विधिक इकाइयों को सम्मिलित करते हुए किया है, अतः ‘निदेशक’ शब्द को भी विस्तृत अर्थ देना आवश्यक था ताकि फर्म के संदर्भ में इसका अर्थ ‘साझेदार’ हो। अतः ‘कंपनी’ की परिभाषा में फर्म को सम्मिलित करना एक विधिक कल्पना (legal fiction) तथा

विधायी उपाय के रूप में किया गया है, जिससे फर्म के साझेदारों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके, जो कि भारतीय साझेदारी विधि के अंतर्गत वे पहले से ही वहन करते हैं। सुविधा के लिए 'कंपनी' शब्द की परिभाषा में साझेदारी फर्म को स्पष्टीकरण के माध्यम से सम्मिलित किया गया है, अन्यथा समान उद्देश्य हेतु पृथक प्रावधान करना पड़ता। इसी प्रकार स्पष्टीकरण के खंड (ब) में 'निदेशक' शब्द का अर्थ फर्म के संदर्भ में 'साझेदार' है।

64. यह भी स्पष्ट करता है कि जहाँ कंपनी के संदर्भ में निदेशक एक पृथक विधिक व्यक्तित्व रखता है, वहीं साझेदारी फर्म के मामले में साझेदार वास्तव में पृथक विधिक व्यक्तित्व नहीं होता। इसका कारण यह है कि साझेदारी फर्म कंपनी की भाँति अपने निदेशकों से पृथक स्वतंत्र विधिक इकाई नहीं होती, बल्कि केवल अपने साझेदारों के साथ ही उसका विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। अतः साझेदारी फर्म का अपने साझेदारों से पृथक कोई स्वतंत्र विधिक अस्तित्व नहीं है। इसलिए जहाँ कंपनी के निदेशक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, वहीं साझेदारी फर्म के मामले में जब फर्म द्वारा अपराध किया जाता है, तो वस्तुतः वह अपराध साझेदारों द्वारा किया गया माना जाता है, न कि केवल फर्म द्वारा। अतः फर्म के साझेदार चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, भले ही चेक फर्म के नाम से जारी किया गया हो। विधि एवं विधिशास्त्र दोनों की दृष्टि से जब साझेदारी फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो वास्तविक रूप से साझेदार उत्तरदायी होते हैं तथा यह उत्तरदायित्व संयुक्त एवं पृथक होता है, न कि परोक्ष। यह स्थिति कंपनी से भिन्न है, जहाँ कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है और उसके प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति परोक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं।

65. विधिशास्त्रीय दृष्टि से साझेदारी फर्म के साझेदार ही फर्म का निर्माण करते हैं तथा 'फर्म' शब्द साझेदारों के लिए एक समष्टिगत अभिव्यक्ति है। यह स्थिति कंपनी से भिन्न है, जो एक कॉर्पोरेट निकाय होते हुए अपने निदेशकों से पृथक विधिक इकाई होती है। दूसरी ओर, साझेदारी फर्म अपने साझेदारों के बिना कोई

विधिक मान्यता नहीं रखती। यदि साझेदारी फर्म धारा 138 के अंतर्गत उत्तरदायी है, तो इसका अर्थ है कि यह उत्तरदायित्व स्वतः ही फर्म के साझेदारों पर संयुक्त एवं पृथक रूप से लागू होगा। अतः कंपनी और साझेदारी फर्म के मध्य यह मूलभूत अंतर ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि साझेदारी फर्म के मामले में परोक्ष उत्तरदायित्व की अवधारणा नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व संयुक्त एवं पृथक होता है क्योंकि फर्म साझेदारों का व्यवसाय है और केवल फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि साझेदारों को उत्तरदायी न ठहराया जाए।

66. अतः यदि साझेदारी फर्म को अभियुक्त के रूप में नामित न भी किया गया हो, तथापि यदि साझेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो वे फर्म के साथ-साथ परस्पर भी संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तब भी परिवाद विधिसंगत रहेगा। ऐसे प्रकरण में वास्तविक अभियुक्त साझेदारी फर्म के साझेदार ही माने जाएंगे। चूँकि उत्तरदायित्व संयुक्त एवं पृथक है, इसलिए यदि परिवादी द्वारा धारा 138 के अंतर्गत वैधानिक नोटिस जारी करते समय फर्म को सम्मिलित न किया गया हो या धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता (जो कि धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समकक्ष है) के अंतर्गत परिवाद में फर्म को अभियुक्त न बनाया गया हो, ऐसा परिवाद पोषणीय रहेगा।

67. अतः जब अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, जो कि एक कॉर्पोरेट निकाय है, तब धारा 141 की उपधारा (1) एवं (2) में वर्णित व्यक्तियों पर परोक्ष उत्तरदायित्व निर्धारित होता है और वे धारा 138 के अंतर्गत उत्तरदायी होते हैं। किन्तु साझेदारी फर्म के मामले में, जब अपराध सिद्ध होता है, तो फर्म स्वयं पृथक रूप से उत्तरदायी नहीं मानी जाती, बल्कि यह उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से फर्म के साझेदारों तक विस्तारित होता है, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होते हैं, भले ही अपराध फर्म के नाम से किया गया हो।”



10. वर्तमान प्रकरण में विवाद दो साझेदारी फर्मों से संबंधित है, अर्थात् आवेदकों की फर्म मेसर्स अनिल कुमार बाजपेई एंड संस तथा विपक्षी संख्या 2 की फर्म मेसर्स हिमालयन एंटरप्राइजेज।

11. अभिलेखों एवं दोनों पक्षों के तर्कों का अवलोकन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि चेक फर्म द्वारा निर्गत किया गया तथा बैंक में प्रस्तुत किया गया और विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत परिवाद दायर किया गया। यह तर्क कि लाभांश का हिस्सा धारा 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तनीय देयता का विषय नहीं हो सकता, एक विवादित तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका मूल्यांकन इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। आवेदकों द्वारा उठाए गए सभी तर्क विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए जा सकते हैं, परंतु इस न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

12. आवेदन में कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

23 मार्च, 2026

सचिन